

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 166/2016

दायर दिनांक: 15/07/2016

उनवान

1. सरला नेलसन आयु 70 वर्ष पत्नी नेलसन जाति इसाई निवासी पिपलोद
2. आस्टिन उम्र 48 वर्ष पुत्र नेलसन जाति इसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादीगण

बनाम

1. मोनू आयु 35 वर्ष पुत्र वाल्टर जाति इसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज०
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू भूमिधारी

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं बेदखली

उपस्थिति:—

वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवानस्वरूप मंगल

प्रतिवादी :—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

निर्णय

दिनांक: 10/07/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ग्राम पिपलोद के कृषक हे तथा वादीगण की खाते की आराजी ग्राम पिपलोद में स्थित है। वादीगण को अपनी फसल तैयार करने हेतु ग्राम पिपलोद में खलियान डालने के लिए फसल तैयार करने व कृषि यंत्र ट्रेक्टर ट्रौली आदि खडी करने व जानवरों को बांधने के लिए 60×60 का भूखण्ड ख०नं० 534 खलियान कबा 2.0 है० में स्थित है जो वादीगण के पूर्वजों के समय से ही अर्सा 100 वर्षों से वादीगण के कब्जे व स्वामित्व में चला आ रहा है जिसमें चारों ओर पत्थरों का कोट हो रहा है। तथा वादीगण का ट्रेक्टर खडा रहता है। जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्न प्रकार है— पूर्व में खलिहान दीपू पुत्र डेनियल इसाई पश्चिम में खलिहान बोक्स इसाई उत्तर में खलिहान हनुप व राजू इसाई का तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित

है। वादी का उक्त प्लॉट खलिहान 60×60 जिस पर पत्थर का कोट हो रहा है उसका स्वामित्व व सुखाधिकार वादीगण को प्राप्त हो चुका है तथा उसमें किसी अन्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण के उक्त भूखण्ड पर प्रति वादी नं० ने दिनांक 25.04.2009 को पत्थर डालना प्रारम्भ कर दिया तथा मना करने पर बोला कि मेने पंचायत अड्डान्द से इस जगह का पट्टा बनवा लिया है तथा उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर व राजनैतिक दबाव से प्रतिवादी वादी के भू-खण्ड पर कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण ने एक वाद माननीय सिविल न्यायाधीश क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अटरू की अदालत में पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश से प्रतिवादी को पाबन्द किया गया था फैसला वाद दिनांक 16.07.2009 को हुआ तथा वाद का निस्तारण दिनांक 18.05.2016 को हुआ उसकमें माननीय न्यायालय ने गै.मु. खलिहान को राजस्व भूमि मानते हुये माननीय राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मानते हुये खारिज कर दिया तनकी न उसमें तथा प्रतिवादी के काउन्सर क्लेम में प्रतिवादी का पट्टा दिनांक 21.06.1995 को फर्जी मानकर निरस्त कर दिया उक्त खलिहान पर वादीगण आज भी काबिज हैं किन्तु प्रतिवादी नं 1 पुलिस थाना अटरू से सांठ गांठ कर आज भी वादीगण के खलिहान पर कब्जा करने की नियत रखता है। इस हेतु प्रतिवादी नं० 1 ने पुलिस थाना अटरू से दिनांक 04.07.2016 को धमकी दिलाई की इसको प्लॉट दो अन्यथा में तुमहे बन्द कर दूंगा। प्रतिवादी व पुलिस थाना अटरू द्वारा वादीगण को धमकाने पर वाद कारण प्रथम बार दिनांक 04.06.2016 को तथा अन्तिम बार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी नं० 1 उक्त कृत्य गैर कानूनी तथा अवेधानिक हे उसके कृत्य को बिना सहायता न्यायालय रोका जाना संभव नहीं है। दबाव डालकर वादीगण को अपने कब्जे शुदा भूखण्ड से गैर कानूनी रूप से बेदखल करने पर आमादा है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता से रोका जाना संभव नहीं है। वादीगण प्रतिवादी न 1 को जर्जे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जे शुदा भूखण्ड जिसमें वादीगण का ट्रेक्टर व कृषि यंत्र रखे रहते जिस वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में ए,बी,सी, डी, अंको से दर्शित किया है न तो स्वयं मदालावत करें (कब्जा करने की कोशिश करें) न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। वाद का मूल्यांकन वास्ते अदायगी स्थायी निषेधाज्ञा हेतु उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां के निवासी है तथा कब्जे शुदा भूखण्ड भी ग्राम पिपलोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य व उचित न्याय शुल्क पर पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तहसीलदार अटरू अतः माननीय न्यायालय में वाद पेश कर वादीगण

निवेदन करते हैं। कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें :-

- (अ) यह कि वादीगण का भूखण्ड खलिहान जिसे मानचित्र एबीसीडी0 अंको से प्रदर्शित है तथा जिस पर वादी का कोट व रोड हो रहा है। उसके कब्जे के ख0नं0 के भूखण्ड में कब्जा करने का प्रयास न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से कराये।
- (ब) यह कि यदि दोराने वाद प्रतिवादी यदि वादी के भूखण्ड पर कब्जा करले तो उसे बेदखल कराया जावे।
- (स) यह कि राजस्व रिकार्ड में खलिहान का अंक किया जाने हेतु प्रतिवादी क्रम 2 तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जावे।
- (द) यह कि अन्य न्यायिक सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि यह कि वाद पत्र की मद. न. 1 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद. न. 2 जिस तरह से लिखा है पूरा ही अस्वीकार है। बल्कि वादीयागण ने प्रतिवादी के स्वामित्व के कब्जे के भूखण्ड पर पिछले 6 माह से जबरन कब्जा करने पर आमादा है कभी पत्थर डालते हैं। कभी रेत डाल देते हैं और कभी निर्माण कर लेते हैं। प्रतिवादी ने वादीगण के खिलाफ थाना अटक में कई बार रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन प्रतिवादी की कोई सुनवाई नहीं हुई जब कि उक्त भूखण्ड आबादी क्षेत्र में स्थित है जिसका पट्टा प्रतिवादी के पास मौजूद है प्रतिवादी ने ही मकान बनाने के लिए उक्त भूखण्ड पर 4 पक्का तामीर कार्य 1 किया है। वाद पत्र की मद० न० 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद० न० 4 जिस तरह से लिखा है। वादीयागण मनगठन्त व झुटी कार्यवाही से प्रतिवादीक्रम 1 के स्वामित्व के भूखण्ड पर अनाधिकृत कब्जा करके हडपाना चाहते हैं। वाद पत्र की मद० न० 5 बेबुनियाद होने की वजह से काबिल निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद० न० 6 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद० न० 7 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद० न० 8 कानूनी है। यह कि वाद पत्र की मद० न० 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद० न० 10 आशिक रूप से स्वीकार है। बिना वाद कारण के वाद पत्र पेश किया है। वाद पत्र की मद० न० 11 अस्वीकार है क्योंकि भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की है। ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया इस वजह से काबिल निरस्तनीय है।

विशेष कथन

वाद पत्र की मद० न० 1 में वर्णित विवादी स्थल आबादी ख० न० 1173/534 का रकबा 0.40 है० किस्म गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत अर्दान्द के खाते दर्ज है। ग्राम पंचायत अर्दान्द का स्वामित्व का है। उक्त भूखण्ड राजस्व भूमि में स्थित नहीं होने की वजह से तथा आबादी भूमि में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने की वजह से वादियागण का वाद स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। वादियागण ने वाद उक्त भूखण्ड पर पिछले 100 वर्षों से खलियान डालना बताया है। और अगर राजस्व भूमि पर किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा या अतिक्रमण होता है तो उसके खिलाफ धारा 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की रिपोर्ट होती है। लेकिन वादियागण ने कब्जे काश्त का कोई दस्तावेज भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अपने कब्जे काश्त वादियागण के पास सबूत नहीं है। ग्राम पंचायत ने विवादीत भूखण्ड का पट्टा जिस पर मकान बनाने के पक्की तामीर कार्य करने के लिये कमरे का पक्का निर्माण और उसी प्रतिवादी के तामीर कार्य पर जबरन कब्जा करना चाहती है। यह कि वादियागण ने मनगठन्तएवं झुठे तथ्यों पर उक्त उनवान का वाद महज प्रतिवादीकम 1 के स्वामित्व के भूखण्ड पर गैर कानुनी एवं अवैधानिक रूप से हडप करने कि नियत से पेश किया है। जो काबिल निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय मे प्रतिवादी क्रम 1 जवाब दावा पेश कर निवेदन करता है कि वादियागण का वाद निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

3. दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई—

तनकी नं० 1—आया कि वादीगण का ग्राम पिपलोद में ख०नं० 534 का $60 \times 60 = 3600$ वर्गमीटर का खलिहान जिसे मानचित्र में एबीसीडी० अंकों से प्रदर्शित किया है जिस पर वादीगण का कोट हो रहा है उसका स्वामित्व एवं सुखाधिकार वादीगण को प्राप्त हो चुका है उसके कब्जे में प्रतिवादीगण व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

(वादियागण)

तनकी नं० 2—आया कि वादीगण के कब्जे के भूखण्ड पर प्रतिवादीगण दौराने वाद कब्जा कर ले तो वादीगण प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने के अधिकारी है।

(वादियागण)

तनकी नं० 3—आया कि वादीगण के कब्जेशुदा एबीसीडी अंको से प्रदर्शित खलिहान को राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

(वादियागण)

तनकी नं0 4—आया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादित स्थल आबादी ख0नं0 1173/534 का रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत अर्दान्द के खाते दर्ज है उक्त भूमि राजस्व भूमि नहीं होने माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

(प्रतिवादी क्रम 1)

तनकी नं0 5— आया कि वादीगण ने कबजे काश्त बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हे इसलिए दावा खारिज किया जावे।

(प्रतिवादी क्रम 1)

तनकी नं0 6—आया कि विवादित भूखण्ड का पट्टा प्रतिवादी क्रम 1 के पास मौजूद है प्रतिवादी के ही मकान बनाने के लिए उक्त भूखण्ड पर 4 पक्का तामीर कार्य किया है।

(प्रतिवादी क्रम 1)

तनकी नं0 7—आया कि वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाने से दावा चलने योग्य नहीं है।

(प्रतिवादी क्रम 1)

4. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य पी.डब्ल्यू 1 सरला नेलसन, पीडब्ल्यू 2 सेमुअल, पीडब्ल्यू 3 एरिक्शन, पीडब्ल्यू 4 अनिल, पीडब्ल्यू 5 रामस्वरूप, पी. डब्ल्यू 6 आस्टिन के शपथ पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पिपलोद की जमाबंदी संवत 2065–68 प्रदर्श 1, विवादित आराजी का खसरा नक्शा प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2069–73 प्रदर्श 3, ग्राम पिपलोद की जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 4, ग्राम पिपलोद के ख0नं0 1173/534 का खसरा नक्शा प्रदर्श 5, सिविल न्यायाधीश अटरू के निर्णय दिनांक 18.05.2016 की फोटो प्रति प्रदर्श 8, ग्राम पीपलोद के नामान्तरण संख्या 85 दिनांक 14.07.1997 की फोटो प्रतिलिपी, ग्राम पीपलोद के खाता संख्या 534 जमाबंदी संवत 2053–56 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

5. प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी डब्ल्यू 1 मोनू पुत्र वाल्टर का शपथ पत्र पेश किये गये।

6. प्रकरण में विवादित भूखण्ड की राजस्व रिकार्ड में मौके की स्थिति के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट क्रमांक 1431 दिनांक 05.07.2019 में विवादित भूखण्ड की

राजस्व रिकार्ड में मौका स्थिति स्पष्ट नहीं होने और इस दौरान राजस्व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन आने से पुनः तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका स्थिति की हाल रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक 1253 दिनांक 06.07.2023 से मोका रिपोर्ट पेश की गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विवादित भूखण्ड ग्राम पिपलोद के ख0नं0 1173/534 कुल रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0 आबादी में स्थित है। ग्राम पिपलोद के ख0नं0 534 खाता संख्या 1 में राजकीय भूमि है।

7. अभिभाषक वादी एवं पेराकार सरकार की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षरान की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभिवचनों के आधार पर प्रकरण का तनकीवार न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है—

तनकी नं0 1— इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम पिपलोद की आराजी ख0नं0 534 रकबा 2 है0 किस्म खलियान में वादी का भूखण्ड साईज 60 ×60 वर्ग मीटर स्थित है जो वादीगण के पूर्वजों के समय से ही कब्जे व स्वामित्व में चला आ रहा है जिस पर वादीगण को सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है। उक्त भूखण्ड राजकीय माध्यमिक स्कूल पिपलोद के सामने स्थित है, जिसके पूर्व में दीपू पुत्र डेनियल, पश्चिम में खलियान बॉक्स ईसाई, उत्तर में खलियान अनुप व राजू ईसाई तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। वादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड पर चारों ओर से पत्थर का कोट कर रखा है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया कि विवादित आराजी पर वादीगण द्वारा वर्षों से कब्जा व स्वामित्व होने के बावजूद भी प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा ग्राम पंचायत अर्दान्द से मिली भगत कर दिनांक 21.06.1995 का फर्जी व कूटरचित पट्टा तैयार करा लिया था जिसे माननीय सिविल न्यायाधीश अटरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.05.2016 से फर्जी मानकर खारिज कर दिया था। वादीगण आज भी विवादित भूखण्ड पर कच्चा मकान बनाकर निवासरत है। प्रतिवादी क्रम 1 जबरन कब्जा करने पर आमदा है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 को पाबन्द किया जाये कि वह वादीगण के कब्जे व सुखाधिकार में दखल अंदाजी नहीं देवे।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उक्त बहस का पूरजौर विरोध करते हुए कथन किया कि ग्राम पिपलोद का विवादित भूखण्ड राजकीय भूमि ख0नं0 534 में स्थित न होकर आबादी भूमि ख0नं0 1173/534 में स्थित है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में आवासीय पट्टा जारी किया गया है और तभी से प्रतिवादीगण का कब्जा था। लेकिन वादीगण द्वारा दादागिरी के बल पर वर्ष

2015-16 में पत्थर व रेत डाल दिये थे और लडाईं झगडे पर आमादा हो गये। वादीगण को कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आगे यह भी तर्क किया गया कि भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 में सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। आगे तर्क किया कि स्वयं वादीगण एवं साक्ष्यवादीगण द्वारा भी अपने सशपथ बयानों में स्वीकार किया है कि विवादित भूखण्ड पर प्रतिवादी क्रम 1 मोनू द्वारा 2009 में पत्थर डालकर कब्जा करने का प्रयास किया है। अतः वादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे में दखलंदाजी न देवे।

अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पिपलोद के विवादित भूखण्ड मौका मजिस्ट्रेट रिपोर्ट दिनांक 06.07.2023 के अनुसार विवादित भूखण्ड ख0नं0 1173/534 किस्म आबादी में स्थित है जिस पर वर्तमान में वादीगण द्वारा कच्चा घर बनाया हुआ है। ग्राम पिपलोद के जमाबंदी संवत 2073-76 प्रदर्श 4 के अनुसार ख0नं0 1173/534 रकबा 0.40 है0 किस्म गे0 मु0 आबादी है जो राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत अर्डान्द के खाते दर्ज है। आबादी भूमि पर लम्बे वर्षों के कब्जे के आधार पर सुखाधिकार की घोषणा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अधीन सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है, न कि राजस्व न्यायालय द्वारा। आबादी भूमि पर लम्बे कब्जे या प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन ही कृषि आराजी एवं राजकीय भूमि पर ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आबादी भूमि के संबंध में लागू नहीं होते हैं। अतः इस राजस्व न्यायालय को विवादित आबादी भूखण्ड पर सुखाधिकार व स्वामित्व की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः तनकी नं0 1 वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा पेश ग्राम पिपलोद की जमाबंदी संवत 2065-68 प्रदर्श 1, 2069-72 प्रदर्श 3, 2073-76 प्रदर्श 4 आदि के आधार पर प्रमाणित है कि विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत अर्डान्द के खाते की आराजी ख0नं0 1173/534 किस्म आबादी में स्थित है। वादीगण द्वारा उक्त आवासीय भूखण्ड पर विगत करीब 100 वर्षों से अपना एवं अपने पूर्वजों का कब्जा होना बताया है जबकि प्रतिवादी क्रम 1 ने विगत 30 सालों से स्वयं का कब्जा होना बताया है। वादीगण द्वारा 100 वर्षों से कब्जे का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पीडबल्यू 3 ऐरीक्सन ने अपनी जिरह में

स्वीकार किया है कि विवादित जमीन पर वादीगण ने कभी काश्त नहीं की है। साक्ष्य गवाह पी डबल्यू 6 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत अर्डान्द द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 को पट्टा दे रखा है और 2009 में प्रतिवादी मोनू विवादित स्थल पर पत्थर डालने व नींव खोदने आया था तब मैंने पत्थर नहीं डालने दिये। आगे स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर कब्जा होने का हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू 2 सेमुअल में अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि जिस भूखण्ड पर सरला नेलसन का कब्जा है उसके कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में 7-8 साल से विवाद चल रहा है। साक्ष्यवादी पी डब्ल्यू 4 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि विवादित भूखण्ड 60×60 पर 2-3 साल पहले सरला नेलसन ने कोट बनवाया है। मुझे जानकारी नहीं है कि विवादित स्थान पर 2-3 कमरों की मोनू ने नींव भर रखी है लेकिन आस्टीन नेलसन का परिवार 2-3 सालों से रहता है। मुझे जानकारी नहीं है कि मोनू ने सरला नेलसन के भूखण्ड पर कब्जा किया है।

प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश ग्राम पंचायत अर्डान्द के आवासीय भूखण्ड विलेख/पट्टा दिनांक 21.06.1995 की फोटो प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत अर्डान्द द्वारा विवादित भूखण्ड रकबा 40× 30 वर्ग फिट का प्रतिवादी क्रम 1 मोनू उर्फ प्रिंस नोबल पुत्र चार्ली वाल्टर निवासी पिपलोद को दिनांक 21.06.1995 को आवासीय भूखण्ड विलेख/पट्टा जारी किया गया था। पट्टे की चतुर्दिशाओं में उत्तर में खाली जगह, दक्षिण में आम सड़क, पूर्व में डेनिस उर्फ दीपू का प्लॉट व पश्चिम में खाली जगह है। यद्यपि वादीगण द्वारा पेश ग्राम पिपलोद के नामान्तरण संख्या 95 दिनांक 16.07.1997 के अवलोकन अनुसार ग्राम पिपलोद के आराजी ख0नं0 534 रकबा 2.59 है0 किस्म गै0मु0 खलियान में से 0.40 है0 भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा के आदेश दिनांक 05.06.1989 से ग्राम पंचायत अर्डान्द के लिए आबादी में कन्वर्ट हुई थी जिसका नामान्तरण तहसीलदार अटरू द्वारा 16.07.1997 को तस्दीक किया गया था तथापि ग्राम पंचायत अर्डान्द द्वारा जारी इस पट्टे की कानूनी वैधता को सक्षम सिविल न्यायालय ने चुनौती दिये जाने या सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मौका मजिस्ट्रेट रिपोर्ट दिनांक 06.07.2023 के अनुसार विवादित भूखण्ड पर वादी क्रम 1 सरला नेल्सन पत्नी नेल्सन का घर बना हुआ है। साक्ष्यवादी पी डबल्यू 1 से 6 ने सशपथ बयान किये हैं कि विवादित भूखण्ड पर मोनू वाल्टर द्वारा वर्ष 2009 में पत्थर डालना प्रारम्भ किया था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्राम पिपलोद की ख0नं0 1173/534 किस्म आबादी में स्थित भूखण्ड का आवासीय पट्टा प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में है लेकिन मौखिक साक्ष्य एवं मौका

मजिस्ट्रेट रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूखण्ड पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा जाहिर होता है। अर्थात् दौरान ए वाद प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा विवादित भूखण्ड पर कब्जा किया जाना साबित नहीं होता है और जब दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कब्जा जाना साबित नहीं है तो प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। **अतः तनकी नं0 2 वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।**

तनकी नं0 3—उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा पेश ग्राम पिपलोद की जमाबंदी संवत 2065—76 प्रदर्श 1 ता 4, ग्राम पिपलोद के नामान्तरण संख्या 95 की पंजिका, वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ पेश विवादित भूखण्ड के नजरी नक्शा, मौका कमिश्नर की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा क्रमांक 1253 दिनांक 06.07.2023 के अनुसार विवादित भूखण्ड ख0नं0 1173/534 किस्म गै0 मु0 आबादी में स्थित है न कि ख0नं0 534 किस्म सिवायचक में स्थित है। वादीगण का भूखण्ड राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिपलोद के सामने मुख्य सड़क के दूसरी ओर लगवा स्थित है जिसके एक ओर दीपू उर्फ डेनिस डेनियल का खलियान व दूसरी ओर बोक्स ईसाई का खलियान है। ख0नं0 1173/534 के लगवा उत्तर में ख0नं0 1190/534 किस्म स्कूल खेल मैदान स्थित है न कि ख0नं0 534 है। अतः प्रमाणित है कि विवादित भूखण्ड राजकीय भूमि ख0नं0 534 में स्थित न होकर ख0नं0 1173/534 किस्म गै0मु0 आबादी में स्थित है। वादीगण का विवादित भूखण्ड की किस्म गैर मुमकिन खलियान न होकर गै0 मु0 आबादी में स्थित हैं। आबादी भूमि ग्राम पंचायत अर्डान्द के खाते दर्ज है। अतः विवादित भूखण्ड पर पट्टा/आवासीय भू विलेख पत्र जारी करने का अधिकार पंचायत राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 से 163 के अधीन ग्राम पंचायत को है। अतः विवादित आवासीय भूखण्ड के स्वामित्व व अधिकारों के निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। **अतः तनकी नं0 3 वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।**

तनकी नं0 4— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर है। यद्यपि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर साबित होता हो कि ग्राम पिपलोद की आराजी ख0नं0 1173/534 की किस्म गै0मु0 आबादी है और यह राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत अर्डान्द के खाते दर्ज है तथापि वादीगण द्वारा पेश ग्राम पिपलोद की जमाबन्दी संवत 2065—68 प्रदर्श—1, संवत 2069—72 प्रदर्श—3, खसरा नक्शा प्रदर्श—2, मौका कमीश्नर की मौका रिपोर्ट क्रमांक 1253 दिनांक 06.07.2023 आदि के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड ग्राम पिपलोद आबादी भूमि ख0नं0 1173/534 रकबा 0.40 है0 में स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड में ग्राम

पंचायत अर्डान्द के नाम दर्ज है। पिपलोद की नामान्तरण पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आबादी भूमि का नामान्तरण संख्या 95 दिनांक 16.07.1997 को तस्दीक हो गया था। चूकिं विवादित भूखण्ड आबादी भूमि में है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के अधीन इस राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। गै0मु0 आबादी भूमि पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है। अतः तनकी न0 4 प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। वादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड पर करीब 100 वर्षों के कब्जे काश्त के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम पंचायत अर्डान्द द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.5.2009 की फोटो प्रति पेश की है। उक्त प्रमाण पत्र पर कोई क्रमांक न0 या डिस्पेच न0 अंकित नहीं है जिससे दस्तावेज की प्रामाणिकता संदेहप्रद प्रतीत होती है। मौका कमीश्नर की रिपोर्ट क्रमांक 1253 दिनांक 06.07.2023 में ख0न0 1173/534 में स्थित विवादित भूखण्ड पर वादीगण का कच्चा मकान होना बताया गया है। साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 2 ने अपनी सशपथ जिरह में कथन किया है कि विवादित स्थल पर 3,4,5 वर्ष से वादीगण ने टीनशेड कर रखा है। वर्ष 2009 में प्रतिवादी क्रम 1 मोनू ने पत्थर डालने का प्रयास किया था लेकिन हमने कब्जा नहीं करने दिया। साक्ष्यवादी पी डब्ल्यू 4 अनिल ने अपनी सशपथ जिरह में कथन किया है कि विवादित स्थल पर आस्टीन नेल्सन का परिवार 2—3 साल से रहता है। साक्ष्यवादी पी डब्ल्यू 5 ने अपनी सशपथ जिरह में कथन किया है कि विवादित जमीन सरला नेल्सन के खाते की नहीं है पंचायत के खाते की है। जिस पर कब्जे को लेकर दोनो पक्षों के मध्य 15 साल से विवाद है। वहीं साक्ष्य प्रतिवादी डी डब्ल्यू 1 ने अपनी सशपथ जिरह में कथन किया है कि विवादित भूखण्ड पर पत्थर का कोट हो रखा है और यह कोट मेने किया है। विवादित स्थल पर मोके पर वादीगण के खलियान नहीं थे। यह खाली भूमि थी जिसका पट्टा मैने ग्राम पंचायत अर्डान्द के सरपंच कौशल सिंह से लिया था। वादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड पर वर्षों पुराने कब्जे के संबंध में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य यथा— घरेलू बिजली बिल, पानी बिल, भूखण्ड पर आवास निर्माण की ग्राम पंचायत से अनुमति, मकान के प्रमाणित फोटोग्राफ आदि पेश नहीं किया जिसकी प्रामाणिकता साबित हो और ना ही प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया गया है जिससे विवादित भूखण्ड पर प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा साबित होता हो। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश विवादित आबादी भूखण्ड के पट्टे दिनांक 21.06.1995 की फोटो प्रतिलिपी से प्रथम दृष्टया विवादित भूखण्ड का केवल टाईटल ही प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में प्रतीत होता है ना कि विवादित भूखण्ड पर

कब्जा साबित होता है। अतः विवादित भूखण्ड पर मौका कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में प्रथम दृष्टया वादीगण का कब्जा प्रतीत होता है लेकिन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में किसी भी पक्षकार का कब्जा साबित नहीं होता है। अतः तनकी न० 5 आंशिकत प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं० 6— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर है। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम पिपलोद का विवादित भूखण्ड ख०न० 1173/534 किस्म गै०मु० आबादी ग्राम पंचायत अर्दान्द के खाते में स्थित है जिस पर ग्राम पंचायत को आवासीय पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार है और इन्ही शक्तियों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.06.1995 को प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में 40 गुणा 30 वर्ग फीट का आवासीय पट्टा जारी कर कब्जा सौपा था। पट्टा जारी होने के बाद से ही प्रतिवादी क्रम 1 लगातार कब्जे में चला आ रहा है। वर्ष 2009 में प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड पर मकान बनाने के लिए 4 पक्का तामीर कार्य किया था लेकिन बाद में वादीगण द्वारा जबरन कोट करने का प्रयास किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। वादीगण एवं साक्ष्यवादी पी डब्ल्यू 1 से 6 ने अपने शपथ पत्रों में स्वयं स्वीकार किया है कि विवादित भूखण्ड पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा 2009 में नींव खोदकर पत्थर का कोट कर लिया था। वादीगण द्वारा विगत 2-3 वर्षों से ही कब्जा किया गया है।

अभिभाषक वादीगण द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए तर्क किया कि पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के अधीन आबादी भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को तो है लेकिन आवासीय पट्टे पर सरपंच के साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश आवासीय पट्टे दिनांक 21.06.1995 पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर है ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। **अभिभाषक वादीगण द्वारा यह भी तर्क किया गया कि विवादित आराजी खन०न० 1173/534 का आबादी भूमि का इन्तकाल संख्या 95 दिनांक 16.07.1997 को तस्दीक किया गया था जबकि पट्टा 21.06.1995 को ही जारी कर दिया गया।** अतः प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में जारी पट्टा विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूखण्ड पर वर्षों से वादीगण का ही कब्जा है और प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

तनकी न० 1 ता 4 के निर्णय से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड ग्राम पिपलोद की आबादी भूमि ख०न० 1173/534 में स्थित है और ग्राम पंचायत अर्दान्द द्वारा दिनांक 21.06.1995 का

प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में विवादित भूखण्ड 60 गुणा 60 में से 40 गुणा 30 वर्ग फीट का पट्टा प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में जारी किया गया था। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अनुसार आबादी भूमि पर आवासीय पट्टा सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होता है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश आवासीय पट्टा दिनांक 21.06.1995 का है और पंचायती राज नियम 1996 इस दिनांक को प्रभावी नहीं था। दिनांक 21.06.1995 को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर पट्टा जारी करने के लिए क्या केवल सरपंच सक्षम था, इस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश नहीं किया गया है और आबादी भूमि पर पट्टे की कानूनी वैधता निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार इस राजस्व न्यायालय को नहीं है। तनकी न0 5 में किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर विवादित भूखण्ड पर पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कब्जे की स्पष्ट नहीं है। अतः तनकी न0 6 आंशिक रूप से ही प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ने बहस के दौरान तर्क किया कि विवादित भूखण्ड आबादी भूमि ख0न0 1173/534 में स्थित होना साबित है और इसलिए ग्राम पंचायत अर्डान्द को प्रकरण में आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। अभिभाषक वादीगण द्वारा विरोध में तर्क किया था कि विवादित भूखण्ड को लेकर वादीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय अटरू में दिवानी वाद संख्या 20/2009 दायर किया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि ख0न0 534 में मानकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का प्रकरण बताकर दावा खारिज कर दिया गया था। इसलिए वादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड ख0न0 534 में मानकर परोकार सरकार तहसीलदार अटरू को पक्षकार बनाया था। विवादित भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित है यह तथ्य प्रकरण में साक्ष्य व गवाहों के बाद निर्धारित हुआ है। अतः इस स्तर पर ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है।

वादीगण द्वारा पेश वादपत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड को ख0न0 534 किस्म खलियान बताकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं प्रतिवादी क्रम 1 के विरुद्ध बेदखली की निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया था और इसलिए भूमिधारी परोकार सरकार को जरिए तहसीलदार अटरू पक्षकार बनाया गया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश अटरू के विवादित भूखण्ड के संबंध में दिवानी वाद संख्या 20/2009 में दिये गये निर्णय दिनांक 18.05.2016 के अवलोकन से भी जाहिर है कि तनकी न0 3 व 4 में विवादित भूखण्ड को ख0 न0 534 राजकीय भूमि मानकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर मानकर दावा खारिज किया गया था। अतः वक्त वाद ग्राम पंचायत अर्डान्द को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना कानूनन जरूरी

नही था। प्रकरण में प्रतिवादीगण के जवाबदावे के बाद ही साक्ष्य व गवाहों के आधार पर यह साबित हुआ है कि विवादित भूखण्ड ख0न0 534 राजकीय भूमि में स्थित न होकर ग्राम पंचायत अर्दान्द की आबादी भूमि ख0न0 1173/534 में स्थित है। अतः तनकी न0 7 आशिक रूप से प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 आर0टी0एक्ट0 खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर ग्राम पिपलोद की आराजी ख0नं0 534 राजकीय भूमि के संबंध में पेश वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 166/2016 दायर दिनांक: 15/07/2016

उनवान

1. सरला नेलसन आयु 70 वर्ष पत्नी नेलसन जाति इसाई निवासी पिपलोद
 2. आस्टिन उम्र 48 वर्ष पुत्र नेलसन जाति इसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
- वादीगण

बनाम

1. मोनू आयु 35 वर्ष पुत्र वाल्टर जाति इसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0
 2. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार अटरू भूमिधारी
- प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं बेदखली

उपस्थिति:-

वादीगण :-विद्वान अभिभाषक श्री भगवानस्वरूप मंगल

प्रतिवादी :-विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम पिपलोद की आराजी ख0नं0 534 राजकीय भूमि के संबंध में पेश वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX.....मुबालिकX..... बाबत खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 10.07.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)